AGPE THE ROYAL GONDWANA RESEARCH JOURNAL
OF HISTORY, SCIENCE, ECONOMIC, POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
ISSN (E): 2583:1348 | A Peer reviewed | Open Accsess & Indexed
Volume 03 | Issue 08 | September 2022| www.agpegondwanajournal.co.in | Page No. 16-22

रॉल्स के न्याय का सामाजिक संविदाकरण का सिद्धांत - एक आलोचनात्मक अध्ययन

राजदेव सिहं
सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग
के. जी. के. (पी.जी.) कालेज मुरादाबाद

"न्याय का आधुनिक ढ़ंग से अर्थ केवल यह हो सकता है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जायें जिसमें प्रत्येक मानव मर्यादित जीवन जी सके।"

– न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू

सारांश

न्याय किसी भी विधिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने का मूल तत्व है। यही वह आधार है जिस पर किसी राज्य की प्रगति, सुख समृद्धि, निर्भर करती है। इसलिए प्रत्येक सभ्य एवं सुस्थापित विधिक–व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य न्याय प्रदत्तीकरण होता है। प्रजातांत्रिक सरकारों में तो न्याय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है। सरकार की सभी नीतियाँ, योजनायें एवं कार्यक्रम इसे ही लक्ष्य करके बनाये जाते हैं। न्याय स्वयं अपने आप में एक जटिल (Complex) एवं गत्यात्मक (Dynomic) संकल्पना है। इसीलिए रोमन काल में न्याय के लिए प्रोटेरियन शब्द (बदलने वाला देवता) का प्रयोग हुआ है। यह प्रत्येक युग, समय काल एवं परिस्थितियों के हिसाब से अपना स्वरूप बदलना रहता है। आज जिसे हम न्याय कह रहे हैं, हो सकता है कि वह कल न्याय न हो या जो हमें वर्तमान में अन्याय लग रहा है हो सकता है कि भविष्य में वही न्याय हो जाये। इसका प्रयोग बहुत सरल एवं जटिल दोनों अर्थो में किया जाता है। यह कोई एक निश्चित चीज नहीं है जिसे एक प्रयास से हम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह सतत् प्राप्त किये जाने वाली चीज है। किसी सामाजिक व्यवस्था में यह हमें विभिन्न रूपों में मिल सकता है।

संकेताक्षर :– पूँजीवाद, उपयोगितावाद, अनभिज्ञता का पर्दा, अन्तर का सिद्धांत, प्राकृतिक योग्यता, वैकल्पिक नियम, एवं परावर्तक संतुलन

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
Raj Deo Singh Assistant Professor, Department of Law K.G.K. (P.G.) College,Moradabad, U.P. Email: rajdeosinghllm@gmail.com	

प्रस्तावना :– न्याय क्या है ? न्याय के सिद्धांत क्या है ? इस पर पश्चिम के अनेक विधिशास्त्रियों ने गहन अध्ययन–मनन किया है। इन्हीं में से एक प्रमुख नाम अमेरिकन विधिशास्त्री जॉन रॉल्स (Jahn Rawls) का है, जिन्होंने बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अपनी पुस्तक न्याय का सिद्धांत (A Theory of Justice, 1972) में न्याय के सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की। रॉल्स चूंकि पूँजीवादी (Captalist) समाज में रहकर पले–बढ़े थे, अतः इसका प्रभाव उनके सिद्धांत मे भी दिखलाई पड़ता है। रॉल्स से पूर्व न्याय का उपयोगितावादी सिद्धांत प्रचलन में था। रॉल्स ने इस सिद्धांत की कमियों को नजदीक से देखा और न्याय के एक नये स्वतन्त्र सिद्धांत की आधारशिला रखी। रॉल्स ने अपने सिद्धांत की शुरूआत ही उपयोगितावाद की आलोचना के साथ की। रॉल्स ने न्याय के मापदण्ड के रूप में उपयोगितावाद को असंतोषजनक मानते हुये सामाजिक संविदाकरण के सिद्धांत पर आधारित निष्पक्षता के तौर पर न्याय (Justice as Feirness) की व्याख्या की है। रॉल्स ने उपयोगितावाद को दो कारणों से अस्वीकार कर दिया–

1. **उपयोगितावाद व्यक्तियों की विशिष्टता या पृथकता को महत्व नहीं देता (Ignorience the distinctiveness or sepratedness of persons) :–** इसके अस्वीकृत होने की पहली वजह थी, इसमें व्यक्ति की विशिष्टता या पृथकता की कोई जगह का न होना। जब हम अपने स्वयं के लाभ के बारे में कोई निर्णय लेते हैं तो वहाँ हम लम्बी अवधि के लाभ के लिए छोटी अवधि के लाभ की आहुति दे देते हैं। जैसे यदि हमें दाँत का दर्द है तो या तो हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा या फिर हम दर्द को बर्दास्त करें। एक में हमें कुछ न कुछ देना पड़ेगा किन्तु दर्द से छुटकारा पा जायेगें दूसरे में हमारा धन बचा रहेगा। इसी प्रकार दासता को ले सकते है। दासता कुछ समाजों में नैतिक एवं न्यायसंगत थी। इसे न्यायसंगत ठहराने में उपयोगितावादी ठास व्यक्ति की बजाय दासों के स्वामियों के सुख को ज्यादा महत्व देते हैं। इस प्रकार उपयोगितावाद सामूहिक लाभ को ज्यादा महत्व देता है तथा व्यक्तियों को एक थैले के रूप में स्वीकार करता है।
2. **उपयोगितावाद औचित्यपूर्ण की परिभाषा भला के आधार पर करता है (The Right and the Good) :–** उपयोगितावाद को अस्वीकार करने का दूसरा आधार यह था कि यह सही (right) को भला (good) के रूप में देखता था। वास्तव में हर समय ऐसा हो यह आवश्यक नहीं है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जो कि सही हो सकती हैं लेकिन उसमें भला का तत्व जरूरी न हो। उदाहरणस्वरूप हम दासता की संस्था को पुनः ले सकते हैं, जिसमें हम दास–स्वामियों के सुख को भला के रूप में देखते हैं। और उसे ही सही (right) सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। किन्तु वास्तव में दास स्वामियों के सुख की उपेक्षा की जा सकती है क्योंकि यह अन्यायी रूप से प्राप्त प्राप्त किया गया है। रॉल्स के अनुसार औचित्यपूर्ण (right) भला (good) के पहले से विद्यमान होता है। रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है, जिस प्रकार विचारों में सत्य पहला गुण होता है और सत्य न्याय में किसी प्रकार का समझौता नहीं किसा जा सकता है।

<u>रॉल्स के सिद्धांत का मूल विचार :–</u> रॉल्स ने सामाजिक संविदाकरण के सिद्धांत में प्रारम्भिक स्थिति (Original Position) की कल्पना की है। यह स्थिति लोगों की सभा की है, जिसमें प्रत्येक एक सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधि है तथा जो ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते हैं, जो न्यायी हो तथा जो उन सभी लोगों पर बाध्यकारी होगा। उनके आगे अनभिज्ञता का पर्दा (Vail of lgnorance) पड़ा होगा। वे यह नहीं जानते हैं कि वे किस सामाजिक वर्ग से सम्बद्ध हैं और न वें यह जानते हैं कि समाज विकास के किस सोपान पर खड़ा है। वे मानव मनोविज्ञान तथा विज्ञान की विधि के बारे में मात्र लाभान्य सूचना रखते हैं। वे सर्वसम्मत करार द्वारा

उन सिद्धांतों का चयन करते है। इस तरह के चयन करने में केवल विवेक से स्वयं के हित से निर्देशित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भला की अपनी अवधारणा के अनुसार जानता है कि उसकी जीवन की एक योजना होगी, परन्तु वह यह नहीं जानता है कि वह योजना क्या होगी। इसलिए वें ऐसे सामाजिक सिद्धांतों के बारे में सहमत होगें जो प्रत्येक के जीवन की योजना को पूरा करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा चूँकि वे बिना किसी विशेष दिलचस्पी के इन सिद्धांतों का चयन करेंगे इसलिए वे निरपेक्ष रूप से न्यायपूर्ण होगें। इस स्थिति में लोग न्याय के दो सिद्धांत खोज के लाते हैः–

प्रथम सिद्धांत :–

प्रत्येक व्यक्ति को सभी के लिए स्वतन्त्रता की समकक्षता के अनुकूल सर्वाधिक विस्तृत पूर्ण– व्यवस्था की मूल स्वतन्त्रताओं का समान अधिकार होना चाहिए।

द्वितीय सिद्धांत :–

सामाजिक एवं आर्थिक असमानता स्वीकार की जायेगी यदि उससे समाज के सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति को फायदा हो रहा हो। (Rawls : A Theory of Justic Page No. 302)

रॉल्स अपने दोनों सिद्धांतों में प्रथम को वरीयता (Lexical priority) देते हैं अर्थात जब पहला सिद्धांत पूरा हो जायेगा तभी दूसरा सिद्धांत लागू होगा।

प्रथम वरीयता का नियम (स्वतन्त्रता कर वरीयता) :– न्याय के सिद्धांतो को शाब्दिक क्रम में रखा गया है और इसलिए स्वतन्त्रता को केवल स्वतन्त्रता के लिए संकुचित किया जा सकता है। ऐसे दो मामलें है :

(क) एक कम गहन स्वतन्त्रता सभी लोगों की हिस्सेदारी वाली स्वतन्त्रता की पूर्ण व्यवस्था को मजबूत करेगी।

(ख) समान स्वतन्त्रता से कम स्वतन्त्रता उन लोगों द्वारा स्वीकार्य होगी जिनके पास कम से कम स्वतन्त्रता है।

द्वितीय वरीयता का नियम (कार्यकुशलता और कल्याण पर न्याय की वरीयता) :– न्याय का दूसरा सिद्धांत कार्यकुशलता और लाभों के अधिकतम परिमाण (कल्याण) से शाब्दिक रूप से पूर्व है और उचित अन्तर के सिद्धांत (difference principle) से पूर्व है। ऐसे दो मामले हैं :

(क) अवसर की विषमता तुलनात्मक रूप में कम अवसर वालों के अवसर में अभिवृद्धि करेगी,

(ख) बचत की ज्यादा दर बचत होने पर ज्यादा तकलीफ उठाने वालों के भार को कम करेगी।

रॉल्स अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक उदाहरण देते है, जिसमें एक कम्पनी के प्रबंध निदेशक (M.D.) को तीन लाख रूपये वेतन मिलता है। उसके स्टेनो को तीस हजार रूपये वेतन मिलता है जबकि उसके कार पार्कर को सिर्फ तीन हजार रूपये ही मिलता है। ऐसी व्यवस्था उचित है और हम यह नहीं कह सकते कि स्टेनों तथा कार पार्कर के साथ अन्याय किया जा रहा है। यहाँ कम्पनी के प्रबंध निदेशक (M.D.) के पद के लिए विशेष ज्ञान, योग्यता तथा कौशल की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसके वेतनमान को उच्च रखा गया है। कम्पनी के प्रबंध निदेशक (M.D.) के पद के कारण ही स्टेनो तथा कार पार्कर की भी नौकरी है, अतः ऐसी असमानता को बर्दास्त किया जा सकता ळें स्टेनों तथा कार पार्कर दोनों स्वतन्त्र हैं कि वे अपने

अन्दर योग्यता विकसित करके कम्पनी के प्रबंध निदेशक (M.D.) के पद तक पहुँच सकें। ऐसी व्यवस्था रॉल्स के दोनों सिद्धांतों को पूरा करती है अतः उचित है।

अन्तर का सिद्धांत (Difference Principle) :– न्याय के उदारवादी दृष्टिकोण से देखा जाये तो रॉल्स अन्तर के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत में सर्वप्रथम वह प्राकृतिक स्वतन्त्रता की व्यवस्था (System of Natural Liberty) की चर्चा करते हैं जिसमें शुद्ध स्वतन्त्र बाजार (Pure free market) में यह आवश्यक है कि संपदा का कराधान के माध्यम से कोई भी पुनर्वितरण नहीं होता है। रॉल्स इसे नकारते हैं कि लोग असम्यक् असर से इसे प्रभावित करेंगे तथा नैतिकता की दृष्टि से भी यह सही नहीं है। जैसे यदि कोई व्यक्ति संपन्न घर में पैदा होगा तो उसे आगे बढ़ने का स्वतः अवसर मिल जायेगा। इसके विपरीत यदि व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है तो उसकी स्थिति और भी खराब हो जायेगी।

अन्तर के सिद्धांत में ही रॉल्स फिर अवसर की समता (Equlty of opportunity) की बात करते हैं। इसके अनुसार हमारी प्रतिभा को भाग्य या सामाजिक स्थिति के आधार पर न मानकर हमारी योग्यता (Tallent) के आधार पर माना जाये। रॉल्स इसे भी अस्वीकार करते हैं और कहते है कि ये आकर्षित करने वाली तो हैं किन्तु अनिश्चित (Unsatle) है। हम लोगों की प्रतिभा (Talent) को कैसे मापेंगे क्योंकि प्राकृतिक योग्यता (Natural tallent) लोगों की अलग–अलग होती है। जो लोग ज्यादा साधन सम्पंन होंगे, वे अधिक प्रतिभाशाली हो सकते हैं, जबकि एक साधनहीन व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। न्याय की दृष्टि से यह भी उचित नहीं होगा कि किसी की योग्यता (Tallent) को उसके माता–पिता की संपदा के आधार पर निर्धारित किया जाये। रॉल्स के समाज (Society) में एक प्रतिभाशाली (Tallented) व्यक्ति जो अपनी प्रतिभा (Tallent) से अपना भौतिक विकास बढ़ा रहा है, वह वहीं तक ऐसा कर सकता है जहाँ तक उससे समाज के निम्न वर्ग के लोगों को फायदा हो रहा हो।

अन्तर के सिद्धांत में रॉल्स अन्त में वैकल्पिक नियम (Maximine rule) की चर्चा करते है तथा इसे स्वीकार करते हैं। ये नियम एक वैकल्पिक व्यवस्था को प्रदान करता है। इसी के आधार पर सिद्धांत का चयन करने वाले लोग नियमों का चयन करेंगे या करते हैं। जैसे यदि हमें बैंक लुटेरा या सरकारी नौकर में से कोई एक स्थिति चुनना है तो हम क्या चुनेंगे? बैंक लुटेरा (Bank Robber) के रूप में यदि मैं सफल हो जाता हूँ तो मुझे एक लाख रूपये मिल सकते हैं, किन्तु यदि मैं असफल हो जाता हूँ तो मुझे कुछ भी नही मिलेगा। यदि मैं सरकारी सेवक बनता हूँ तो मेरी आय अधिकतम 20 हजार रूपये होगी और कम से कम 5 हजार रूपये मुझे मिलेगें ही, इनता तो निश्चित ही है। वैकल्पिक नियम (maximine rule) कहता है कि हमें सरकारी नौकर (Civil Servant) बनना चाहिए। तब हम प्रारम्भिक स्थिति में सरकारी नौकर को ही चुनेंगें यह सिद्धांत इसलिए भी लागू करने योग्य है क्योंकि उपयोगिता की अपेक्षा इस सिद्धांत से समाज के निम्न वर्ग के लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। अतः यह सिद्धांत उपयोगिता के सिद्धांत से ज्यादा बेहतर है।

अभी तक हम अज्ञानता के पर्दे (Vail of Ignarance) में हो रही गतिविधियों की चर्चा कर रहे थे। अब हम इस पर्दे को हटा देते हैं तो पता चलता है कि मैं सबसे निम्न हूँ। तो यह स्थिति भी हमें स्वीकार्य होगी क्योंकि सभी लोग मेरे ही कल्याणार्थ कार्य कर रहे हैं। और यदि मैं एक सम्पन्न व्यक्ति हुआ तो मुझे आगे बढ़ने की पूरी स्वतन्त्रता है। और इस प्रकार दोनों प्रकार की स्थिति ही उचित प्रतीत होती है।

परावर्तक संतुलन (Reflective Equilibrium) :– रॉल्स का सिद्धांत एक परिकल्पनात्मक प्रश्न (Hypothetical question) है जिस पर तार्किक व्यक्ति (rational person) कुछ निश्चित सिद्धांतों पर सहमत होते है। परन्तु यह दशा एवं समझौता हमारे ऊपर क्यों बाध्यकारी हो ? क्योंकि हम प्रारम्भिक स्थिति में नहीं थे एव ंहम उन सिद्धांतों पर सहमत नही हैं। तो इन्हें हम क्यों चुने और यह हम पर क्यों बाध्यकारी हो ?

रोनाल्ड ड्वार्किन (Ronald Dworkin) इसका उत्तर देते हुये कहते हैं कि रॉल्स एक पूर्वानुमान करते है कि सभी को समान अधिकार होगा, सम्मान का भी अधिकार होगा। यह उस स्थिति का द्योतक है जिसमें व्यक्ति के अपने सुविचारित निर्णय उन सिद्धांतो के साथ मेल खायेंगे जिन्हे तटस्थबाह्य व्यक्ति चुनेगा। यह हो सकता है कि रॉल्स द्वारा कल्पित तटस्थबाह्य व्यक्तियों के निर्णय सामान्य जन के सुविचारित निर्णय से मेल न खायें। ऐसे स्थिति में या तो वें अपने निर्णय को बदल लेंगे या पुनविचार करेंगे कि उनके निणर्य में कहाँ कमी रहे गई है। अतः वे अपने निर्णय और तटस्थबाह्य व्यक्ति के निर्णय के बीच परावर्तक संतुलन के आधार पर सामंजस्य निश्चित करेंगे। यह किसी समस्या को विधिक एवं नैतिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है। जैसे किसी व्यक्ति की जान लेना अन्यायपूर्ण है लेकिन बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है, जिसमें उसकी जान ली जा सकती है। उदाहरण के लिए युद्ध, इच्छामृत्यु, गर्भपात एवं आत्मरक्षा आदि। इस प्रकार की परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना विधिक एवं नैतिक दोनो दृष्टिकोणों से सही है। संक्षेप में परावर्तक संतुलन एक ऐसे बिन्दू की बात करता है जहाँ पर सभी व्यक्ति अन्नतोगत्वा एकमत हो जाते हैं।

रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना :– रॉल्स के सिद्धांत की बहुत से विधिशास्त्रियों ने अनेंक आधारों पर आलोचनायें की है, जिनमें प्रमुख है :–

1. रॉल्स के प्राकृतिक योग्यता पर आक्षेप करते हुये उनके शिष्य राबर्ट नोजिक (Robert Nozick) कहते है कि जब एक व्यक्ति प्राकृतिक योग्यता (Natural tallent) से सम्पत्ति उपार्जित करता है एवं उस पर समाज के निम्न वर्ग के लोगों का हक होता है तो क्यों न ऐसे व्यक्ति की, जिसके पास हो स्वस्थ्य आँखे व किडनी है उन्हें भी निकाल कर वितरित कर दिया जायें, आखिर ये भी प्रकृति प्रदत्त ही हैं। पर हमें नोजिक की यह आलोचना उचित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि रॉल्स ने इनका उपयोग करके उपार्जित सम्पत्ति पर हिस्सा की बात की है न कि स्वयं उन्हीं अंगों. पर।
2. दूसरी प्रमुख आलोचना समतावादी विचारकों (Radical Eqalitarian) द्वारा की गई है। रॉल्स प्रारम्भिक स्थिति (Original position) में समाज में निम्न वर्ग के लोगों का निर्धारण सामाजिक प्राथमिक उत्पादों (Sociel Primary goods) के आधार पर करते हैं जिनमें – स्वतन्त्रता, संपदा, अवसर तथा आत्मसम्मान प्रमुख हैं। समतावादी विचारक (Radical Egalitarian) इसकी आलोचना करते हुये कहते हैं कि ये समाज को विखण्डित करते हैं तथा हानि पहुँचाते हैं। ये लोग सामाजिक प्राथमिक उत्पादों (Sociel Primary goods) को मापने का एकमात्र आधार नही मानते है बल्कि कुछ अन्य आधार भी मानते है जिसमें धन, सामाजिक स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए जिसे इन लोगों ने Thin theory of the good कहा है।
3. डायस (Dias) महोदय रॉल्स की आलोचना करते हुये कहते हैं कि कैसे यह लोग प्रारम्भिक स्थिति में अपने निष्कर्ष (Conclusion) पर पहुँचे ? जैसे कि वस्तुओं का वितरण आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए न कि योग्यता के ? इनको प्रारम्भिक स्थिति में कैसे उत्पन्न (Yeild) किया जायेगा ? फिर इस में लोग आवश्यक रूप से स्वतन्त्रता को ही क्यों चुनेंगे? प्रोफेसर रॉल्स इतिहास का कोई निश्चत समय

नहीं बताते हैं जिसमें लोग अपने इस निष्कर्ष पर पहुँचे हो क्योंकि एक अकाल (Femine) के समय भोजन की आवश्यकता स्वतन्त्रता से अधिक होगी।

4. एक आलोचना यह भी की जाती है कि प्रोफेसर रॉल्स ने विरोधी सिद्धांतो में चयन के लिए कोई पथ–प्रदर्शक नहीं बताया है। इसके लिए वे पहले सिद्धांत को प्राथमिकता (Lexical priority) देते हैं अर्थात जब पहला सिद्धांत पूर्णतया संतुष्ट हो जायेगा, तभी दूसरा लागू होगा। वे ऐसा किस आधार पर पहुँचे, इस बात पर वह मौन हैं।
5. रॉल्स के प्रारम्भिक स्थिति (Original Position) की आलोचना अन्यन्त काल्पनिक (Hypothetical) होने के आधार पर की गई है। क्या लोगों को अपने मूल्यों से दूर किया जा सकता है।
6. रॉल्स का परावर्तक संतुलन (Reflective Equibirium) का सिद्धांत नैतिक निर्णय पर आधारित है।

निष्कर्ष :– न्याय एक सापेक्ष (Relative) अवधारणा है। इसे मापने के मानक हमेशा बदलते रहते हैं। यह समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दशाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर होती है। न्याय को हम कई चीजों जैसे – सुरक्षा, स्वतन्त्रता या समता में खोजते हैं। पुरातनकाल में जब लोग बर्बर अवस्था में रहते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तब लोगों के लिए उनकी सुरक्षा ही न्याय थी। आधुनिक समाज में देखें तो ऐसी विधिक व्यवस्था जो पूँजीवादी हो, वह स्वतन्त्रता के रूप में न्याय को देखती है और समाजवादी व्यवस्था में यह समता के रूप में विद्यमान मिलती है। प्रोफेसर रॉल्स ने अपने सिद्धांत के माध्यम से स्वतन्त्रता एवं समता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुये समाज को प्रगति के मार्ग पर अग्रसारित करने का प्रयास किया है। प्रोफेसर रॉल्स के सिद्धांत को हम भारतीय समाज के सन्दर्भ में बेहतर ढंग से समझ सकते है। आजादी के पश्चात अन्य देशों की भॉति हमने भी समाजवादी राज्य बनाने का प्रयास किया। जिसका प्रधान लक्षण समता होता है और हम इस व्यवस्था पर लगभग 40 वर्षो तक चले। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में सरकार की नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी होती है और यदि वह समता की बात करती रही तो समाज का विकास अवरूद्ध हो जायेगा तथा राष्ट्र की प्रगति बाधित हो जायेगी। ऐसी अवस्था में सरकार के पास लोगों में बाँटने के लिए सिर्फ गरीबी रह जायेगी। हमने 1991–1992 में यह महसूस किया और स्वतन्त्रता को भी पर्याप्त महत्व देने लगे। स्वतन्त्र समाज में लोगों को आगे बढ़ने का अवसर होता है और राष्ट्र का विकास तीव्र गति से होता है। लेकिन यह अनियंत्रित नही होना चाहिए इसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, नही तो अमीर–गरीब के बीच का अन्तर और भी बढ़ता चला जायेगा। इसके लिए विधि को पर्याप्त हस्तक्षेप करने की जरूरत है जैसा कि हमारी संसद नें नये कम्पनी अधिनियम, 2013 में कम्पनियों के लिए यह प्रावधान है कि वे अपने शुद्ध लाभांश का 2% हिस्सा समाजोपयोगी (Corporate Social Responsibility, C.S.R.) कार्यो में खर्च करेगीं। लोगों पर लगाया जाने वाला कराधान (Taxation) इसी का एक उदाहरण है। इसलिए किसी को आगे बढ़ने के लिए जितना उसका स्वतन्त्र होना जरूरी है उतना ही उसका समान होना भी आवश्यक है।

सन्दर्भ–सूचि

1. रॉल्स, प्रोफे0 जॉन – ए थ्योरी ऑफ जस्टिस हावर्ड यूनिवर्सिटि प्रेस (2005)
2. सिमंस, प्रोफे0 एन0 ई0 – सेन्ट्रल इश्यूज इन ज्यूरीसप्रूडेन्स जस्टिस लॉ ऐण्ड राइट्स इस्टर्न बुक कम्पनी (2003)
3. प्रसाद, डा0 अनिरूह – विधिशास्त्र के मूल सिद्धांत (2016) ईस्टर्न बुक कम्पनी लखनऊ

4. डायस, आर0 डब्ल्यू0, एम0 – ज्यूरिसप्रूडेंस (1994) पांचवा संस्करण आदित्य बुक्स प्रा0 लि0 नई दिल्ली
5. ध्यानी, एस0 एन0 – ज्यूरिसप्रूडेंस (2015) सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद
6. टंडन, एम0 पी0 – ज्यूरिसप्रूडेंस (लीगल थ्योरी 2018), इलाहाबाद लॉ एजेन्सी
7. त्रिपाठी, डा0 टी0 पी0– ज्यूरिसप्रूडेंस (2011) इलाहाबाद लॉ एजेन्सी
8. परांजपे, डा0 एन0 वी0– विधिशास्त्र एवं विधिक सिद्धांत (2017) सेंट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद
9. त्रिपाठी, डा0 बी0 एन0 मणि0 – विधिशास्त्र एवं विधिक सिद्धांत (2006) सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशंस इलाहाबाद

■ ■ ■